प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1160 /2020

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा, शहर कोटवाली, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

सौरभ जैन पिता उत्तम जैन , 34 वर्ष , पेशा व्यवसाय, निवासी मोहल्ला रामदधी रोड थाना राजनांदगांव छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री नीरज शर्मा, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

20/03/2025

1. राज्य/आवेदक ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, (छ.ग.) द्वारा दिनांक 20.09.2018 के आदेश (अनुलग्नक ए-1) के तहत उत्तरवादी /अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत यह याचिका पेश की है।

2. इस याचिका के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य यह है कि 19.01.2008 को, धरमचंद अग्रवाल अपने कार्यालय में थे, लगभग 8.15 बजे, अभियुक्त कार्यालय में आया और उन पर गोली चला दी और उसके बाद, अभियुक्त एक अन्य सह-अभियुक्त के साथ मौके से भाग गया, जो मोटरसाइकिल पर कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहा था।गोली लगने से धर्मचंद अग्रवाल के सीने पर चोट आई। नवीन अग्रवाल (घायल के पुत्र) द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 307/34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई और

अभियुक्त /उत्तरवादी को 16.08.2018 को गिरफ्तार किया गया।हालांकि, 20.09.2018 के आदेश (अनुलग्नक ए–1) के तहत उत्तरवादी–अभियुक्त को कुछ नियमों और शर्तों पर जमानत दी गई है। इसलिए, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

3. राज्य/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आदेश अनुलग्नक ए–1 विधि के स्थापित सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है। कथित अपराध/अपराध के कमीशन में उत्तरवादी/अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य/सामग्री उपलब्ध है।सह–आरोपी (ए. चिन्ना) के साथ–साथ उत्तरवादी की संलिप्तता के संबंध में अन्य अभियुक्त का ज्ञापन बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार स्वीकार्य होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि उत्तरवादी –अभियुक्त लगभग 10 वर्षों से फरार है और काफी प्रयासों के बाद उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकी। विचारण न्यायालय ने यह भी नजरअंदाज किया कि कुछ दिन पहले ही, आदेश 23.08.2019 के तहत उत्तरवादी –अभियुक्त की जमानत याचिका को गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि उत्तरवादी –अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।पूर्व में जमानत आवेदन खारिज होने के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी –अभियुक्त की दोबारा जमानत याचिका को केवल स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर स्वीकार कर लिया है, बिना यह समझे कि इस संबंध में कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय के हित में जमानत आदेश अनुलग्नक ए–1 को रद्द कर दिया जाए।अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **कंवर सिंह मीना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2012) 12 एससीसी 180** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री हेतु अध्ययन किया है।

5. जमानत की अस्वीकृति और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के मुद्दे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में (1995) 1 एससीसी 349 में कंडिका 4 में निर्णय सुनाया है, जो इस प्रकार है:–––

4. किसी गैर–जमानती मामले में प्रारंभिक स्तर पर जमानत की अस्वीकृति और इस प्रकार दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग–अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उससे निराकरण किया जाना चाहिए।पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैं: न्याय प्रशासन के उचित तरीके में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित तरीके से बचने या बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त

को दी गई रियायत का दुरुपयोग।अभियुक्त के फरार होने की संभावना के बारे में अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि, जमानत रद्द करने का औचित्य सिद्ध करने वाला एक और कारण है।हालांकि, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे बिना इस बात पर विचार किए यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बना दिया है, ताकि अभियुक्त को वाद के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति मिल सके।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया जब उसने पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्णय किया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहली बार में गैर–जमानती मामले में जमानत खारिज करने और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सुसंगत कारकों के बीच अंतर को नजरअंदाज कर दिया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हजारी लाल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में (2009) 10 एससीसी 652** में कंडिका 7 में व्यवस्था दी,जो इस प्रकार है:---

"7. अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा न्याय प्रशासन के उचित क्रम में हस्तक्षेप किया गया हो या हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। अभिलेख से यह भी नहीं लगता है कि उसे दी गई रियायत का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया गया है।अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आई है और न ही कोई औचित्यपूर्ण स्थिति दिखाई गई है।अग्रिम जमानत देने में सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए न्यायिक विवेक में उच्च न्यायालय द्वारा ठोस और ठोस परिस्थितियों के अभाव में हस्तक्षेप किया गया है।इस प्रकार, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आक्षेपित आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, राज्य/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण, याचिका में किया गया अभिवचन तथा जमानत रद्द करने के विवाद्यक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण या परिस्थिति नहीं मिली जिससे उत्तरवादी/अभियुक्त को दी गई जमानत रद्द की जाए।जमानत आदेश अनुलग्नक पी–1 से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान की है।

8. तदनुसार, वर्तमान याचिका बिना किसी तथ्य के होने के कारण खारिज की जाती है।

नियमों के अनुसार सीसी।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं*

व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur